Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 12-12-2006

Participants : Rajendra Kumar Shri

an>

Title: Need to simplify the procedure for issuance of domicile certificate in Uttaranchal.

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार) :महोदय, उत्तरांचल प्रदेश में राज्य सरकार ने शिक्षा, रोजगार तथा सरकारी सेवाओं के लिए मूल नि वास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य कर दिया है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को 18 साल पुराना रजिस्टर्ड भूमि का रिकार्ड मांग कर अत्यंत जटिल बना दिया है। उत्तरांचल में बहुत ऐसे परिवार भी हैं, जिनके पूर्वज कभी 20/30 र्वा पहले सरकारी/प्राईवेट नौकरी, छोटे-मोटे उद्योग और दुकान आदि लगाकर किराये के मकान में निवास कर रहे हैं। इनके पास कोई भी भूमि संबंधित कागजात नहीं है। जिससे इनके बच्चों व इनका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार ग्राम प्रधान, सभासद या किसी अन्य जन प्रतिनिधि के संस्तुति पर मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसी प्रकार उत्तरांचल में भी यह व्यवस्था कायम की जाये जिससे 20/30 र्वा पहले से रह रहे परिवारों का भी मूल निवास प्रमाण पत्र बन सके।